GCMS संख्या 2022/81
प्रकरण संख्या 48/22
शान्ति देवी बनाम तहसीलदार भीण्डर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/81

प्रकरण संख्या 48/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री शान्ति देवी बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 04.08.2022

1. प्रार्थीया श्रीमती शान्ती देवी पत्नि मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हमेरापुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भोपाखेड़ा पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 125 की आराजी संख्या 965, 966 किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदार मांगीलाल पिता पन्नालाल हिस्सा 1/40 जाति ब्राह्मण दर्ज है। जबकि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार नवीन रेकर्ड से पूर्व राजस्व ग्राम भोपाखेड़ा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा के खाता संख्या 113 की आराजी संख्या 555 किता 1 रकबा 2–0 बीघा भूमि श्री मांगीलाल पिता पन्नालाल 89/360 हिस्सा एवं पन्नालाल पिता नारायण 271/360 हिस्सा जाति ब्रा. सा. हमेरपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि बिना कोई आदेश राजस्व रेकर्ड में त्रुटि कर दी गई है जिसको दुरस्त कराने का आदेश दिया जावे।
2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर ने जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भोपाखेड़ा पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 125 की आराजी संख्या 965, 966 किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदार मांगीलाल पिता पन्नालाल हिस्सा 1/40 जाति ब्राह्मण दर्ज रेकर्ड है। जबकि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार नवीन रेकर्ड से पूर्व राजस्व ग्राम भोपाखेड़ा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा के खाता संख्या 113 की आराजी संख्या 555 किता 1 रकबा 2–0 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 07.09.2000 विक्रय से श्री किशनलाल पिता मोती 2/9 अहीर के बजाय मांगीलाल पिता पन्नालाल 2/9 ब्रा. सा. हमेरपुरा के नाम रिकार्ड में दर्ज हुआ एवं नामान्तरण संख्या 608 निर्णय दिनांक 20.07.2007 विक्रय से पनालाल पिता नारायण [illegible] से में से 1/40 हिस्सा मांगीलाल पिता पन्नालाल ब्राह्मण सा. हमेरपुरा के नाम रिकार्ड [illegible] स्वीकृत हुआ।
3. उक्त भूमि बन्दोबस्त बाद रेकर्ड की रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी [illegible] के नवीन खाता संख्या 129 आराजी संख्या 965, 966 कुल किता 2 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर भूमि में किशनलाल पिता मोती 2/9 पनालाल पिता नारायण 271/360, मांगीलाल पिता पनालाल 1/40 ब्राह्मण सा. हमेरपुरा दर्ज रेकर्ड है जबकि मिलान खसरा अनुसार बंदोबसत पूर्व गत आराजी संख्या 555 रकबा 2–0 बीघा भूमि के नवीन हाल नम्बर 965 रकबा 0.2200 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 966 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर बने है। बादबस्त बाद पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी संवत 2051–54 में नामान्तरण संख्या 445 दिनांक 07.09.2000 बिकाव से श्री किशनलाल पिता मोती 2/9 अहीर के बजाय मांगीलाल पिता पनालाल 2/9 ब्राह्मण सा. हमेरपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड हुआ लेकिन बन्दोबस्त रेकर्ड में उक्त अमलदरामद न होकर पूर्व खातेदार श्री किशनलाल पिता मोती हिस्सा 2/9 दर्ज रेकर्ड चला आ रहा है।

4. अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया पूर्व रेकर्ड अनुसार किशनलाल पिता मोती हिस्सा 2/9 दर्ज किए जाने की मय अनुशंषा प्रकरण प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें मौजा भोपाखेड़ा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खेरोदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 113 की आराजी संख्या 555 रकबा 2–0 बीघा भूमि में दर्ज चुनीलाल पिता नारायण ब्राह्मण हिस्सा 2/9 दर्ज है जो बिकाव के नामान्तरण संख्या 385 निर्णय दिनांक 30.12.1995 द्वारा चुनीलाल पिता नारायण ब्राह्मण हिस्सा 2/9 के बजाय किशनलाल पिता मोती अहीर के नाम दर्ज हुई तथा नामान्तरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 07.09.2000 बिकाव से किशनलाल पिता मोती अहीर के बजाय मांगीलाल पिता पनालाल ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि के मिलान खसरा के अवलोकन से भू–प्रबन्धन के बाद बने नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 125 की आराजी संख्या 965 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 966 रकबा 0.2300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पिता मोती हिस्सा 2/9 जाति ब्राह्मण दर्ज रेकर्ड है जबकि भू–प्रबन्धन के पूर्व के रेकर्ड के अवलोकन से किशनलाल पिता मोती हिस्सा 2/9 भूमि नामान्तरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 07.09.2000 बिकाव से किशनलाल पिता मोती अहीर के बजाय मांगीलाल पिता पनालाल ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई जिसे भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्तमान रेकर्ड में त्रुटिवश बेचान के नामान्तरण संख्या 445 निर्णय दिनांक 07.09.2000 के अनुसार न दर्ज कर पूर्व खातेदार किशनलाल पिता मोती के नाम दर्ज कर दिया गया जिसको शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भोपाखेड़ा, पटवार हल्का भोपाखेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खेरोदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 125 की आराजी संख्या 965 रकबा 0.2... हैक्टेयर, आराजी संख्या 966 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि में दर्ज किशनलाल पुत्र मोती ... 2/9 जाति ब्राह्मण सा. हमेरापुरा के स्थान पर मांगीलाल पिता पनालाल हिस्सा 2/9 जाति ब्राह्मण किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner